

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 788/2023  
अनवान : -

1. मनीष कुमार डुडी पुत्र श्रीराम डुडी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।  
- वादी

**बनाम्**

1. श्रीराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. इन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्री श्रीराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955**

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 20/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 33/26 की कुल 14.1260 हैक्ट भूमि में से 2024/7063 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 568/428 की कुल 29.0950 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो की वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र पुत्री के पक्ष में परित्याग कर चुका है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 33/26 की कुल 14.1260 हैक्ट भूमि में से 2024/7063 हिस्सा भूमि में से 3.795 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 3 काबिज है तथा शेष भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है तथा 3 बारानी के खाता संख्या 568/428 की कुल 29.0950 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नवीनतम जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 33/26 की कुल 14.1260 हैक्ट भूमि में से 2024/7063 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 568/428 की कुल 29.0950 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वार्ड मैम्बर मलवानी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान उपखण्ड अधिकारी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 33/26 की कुल 14.1260 हैक्ट भूमि में से 2024/7063 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 3.795 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 568/428 की कुल 29.0950 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 788/2023

अनवान : -

1. मनीष कुमार डुडी पुत्र श्रीराम डुडी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।  
- वादी

बनाम्

1. श्रीराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. इन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्री श्रीराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 788 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 33/26 की कुल 14.1260 हैक्ट भूमि में से 2024/7063 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 3.795 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 568/428 की कुल 29.0950 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर